

अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंगो/भवनों की जांच प्रारंभ, निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर आज कई स्थानों पर जोन आयुक्त ने किया अधिकारियों के साथ निरीक्षण, निर्माणाधीन भवनों के परमिशन संबंधी दस्तावेज की हो रही जांच, भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण कार्य तो नहीं हो रहे हैं, इसकी भी हो रही चेकिंग

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत कैलाश नगर भगवा चौक के पास निर्माणाधीन भवनों एवं बिल्डिंगों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में निर्माणकर्ताओं को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है और सोमवार तक की मोहलत दी गई है। आज भिलाई के कैलाश नगर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों का सघन रूप से निरीक्षण कर निर्माणाधीन भवनों का जायजा लिया गया। भगवा चौक के समीप 5 स्थानों पर निर्माण कार्य हो रहे थे। जिनमें से 3 लोग अपने दस्तावेज नहीं दिखा पाए तथा दो लोग भवन अनुज्ञा लेकर निर्माण कर रहे थे। इन तीन लोगों को दस्तावेज प्रस्तुत करने सोमवार तक की मोहलत दी गई है। जोन क्रमांक 2 वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत कैलाश नगर में राजाराम गुप्ता , बिरजू चौधरी, रंजीत कुमार दास , सुब्रतो मोदक तथा प्रदीप कुमार सिंह आदि के द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण निगम ने किया। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा के निर्देश पर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने निगम के सभी जोन आयुक्त को निर्माणाधीन भवनों तथा निर्माण कार्यों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। भिलाई निगम क्षेत्र के सभी स्थानों पर निर्माणाधीन भवनों एवं निर्माण कार्यों की जांच की जाएगी। वैशाली नगर की जोन आयुक्त येशा लहरें ने सहायक राजस्व अधिकारी जगन्नाथ तिवारी एवं निगम के राजस्व विभाग की टीम के साथ निर्माणाधीन भवनों एवं बिल्डिंगों की जांच की। इस दौरान उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाने वाले निर्माणकर्ताओं को सोमवार तक दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा है। बिना भवन अनुज्ञा प्राप्त किए निर्माण कार्य करने वालों पर गाज गिरना तय है।

